भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2288

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

किसानों और श्रमिकों के बच्चों हेतु शिक्षा

†2288. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के किसानों और श्रमिकों के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक आस-पास के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8(ग) में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग के बालक और लाभवंचित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न किया जाए तथा उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त और पूरा करने से रोका न जाए। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में प्रावधान है कि सभी विनिर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल और गैर-सहायता-प्राप्त स्कूल आस-पास में कमजोर वर्ग और लाभवंचित समूह के कम-से-कम 25% बालकों को पहली कक्षा में दाखिला देंगे और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे।

समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा क्षेत्र का व्यापक कार्यक्रम है, जिसका विस्तार प्री-स्कूल से कक्षा-XII तक है। इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायोचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें 'स्कूल' की प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सातत्य के रूप में परिकल्पना की गई है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेन्डर तथा सामाजिक वर्ग अन्तराल को पाटना इस योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इस योजना की पहुंच

बालिकाओं तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों तथा ट्रांसजेंडर तक है। योजना के तहत मुख्य कार्यों, जिन पर फोकस किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ आरटीई पात्रता प्रावधानों जैसे निःशुल्क वर्दी, पाठ्यपुस्तक, स्कूल से बाहर बच्चों के लिए प्रशिक्षण आदि, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं। यह योजना शहरी वंचित बच्चों, किसानों और श्रमिकों के बच्चों सहित आवधिक प्रवासन से प्रभावित बच्चों तथा सुदूर एवं छितरी बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। योजना के अन्तर्गत, स्कूलों की वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्थापना/अपग्रेडेशन, मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी), आवासीय स्कूलों और छात्रावासों आदि जैसे कार्यक्रमों की योजना बनाते समय विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी), शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों (ईईबी), वामपंथ अतिवाद से प्रभावित जिलों तथा महत्वाकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

नवोदय विद्यालय योजना में ग्रामीण प्रतिभा के सर्वोत्तम बच्चों को आगे लाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक जेएनवी खोले जाने का प्रावधान है। इसकी महत्ता लक्षित समूह के रूप में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों का चयन करने में है और इसका उद्देश्य गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है जो आवासीय स्कूल प्रणाली में सबसे अच्छी शिक्षा के बराबर हो।

*****